न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2017-00158RAAJodhpur2017-89RTA223 Lichhamanram Vs Sugani etc

लिछमणराम पुत्र श्री पंचाराम, जाति जाट, निवासी.– ग्राम चटालिया, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती सुगनीदेवी पत्नी श्री लक्ष्मणराम, जाति जाट, निवासीनी कजनाउ कला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2017 सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 151/2007 श्रीमती सुगनीदेवी बनाम तहसीलदार

उपस्थित–

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री ए.आर. चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 07 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 151/2007 अनवान श्रीमती सुगनीदेवी बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 25 सितंबर 2017 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 खसरा नम्बर 230, 231, 235/1 कुल रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा ग्राम ग्राम चटालिया तहसील बावड़ी के संबंध धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जून 2017 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलोच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण किये बिना मामले को लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जबकि उक्त रोज अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नहीं सुनी गई थी तथा न ही शिविर का आयोजन हुआ था, उसके बावजूद भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत के प्रावधानों के अनुसार केवल समझौता होने की परिस्थिति में ही आदेश पारित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों को समझौते हेतु सूचना भी नहीं दी गई व न ही शिविर का आयोजन हुआ था, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा वादीनी का वाद बिना तनकी कायम किये एवं बिना साक्ष्य कलमबद्ध किये मनमाने रूप से विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर स्वीकार करने में भारी त्रुटी कारित की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद को प्रमाणित करने का भार वादी पक्ष पर होता है। उसके लिए साक्ष्य कलमबद्ध की जानी आवश्यक होती है। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि पुरखाराम की पत्नी घेवरी नाते चली गई अर्थात वह आज भी जीवित है, उसके जीवित रहते वादीनी का विवादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वादीनी यह तथ्य स्वीकार करती है कि पुरखाराम विवादग्रस्त भूमि का खातेदार था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय तथ्य था कि उक्त खातेदार के वक्त फौतेदगी वारिस कौन–कौन थे, इस बिन्दु की ओर ध्यान नहीं देकर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण रूपेण नजरअंदाज किया है। वादीनी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कथनों के अनुसार गुमानाराम दिनांक 26.05.1996 को फौत हुआ एवं घेवरी जो कि पुरखाराम की पत्नी को गलत रूप से फौत बताया गया है। अगर गुमानाराम 1996 में फौत होता है तो हिन्दु विधि के अनुसार सुगनी देवी किसी भी रूप में गुमानराम की वारिस नहीं हो सकती है, उसके बावजूद भी हिन्दु विधि को नजरअंदाज कर आलौच्य आदेश पारित किया है। उत्तराधिकारी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है, इसलिए आलौच्य निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया है जो काबिले निरस्त है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट स्व. गुमनाराम का नजदीकी रिश्तेदार है तथा प्रश्नगत भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज व काश्त है। अीपलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र वाद में पक्षकार बनाने हेतु भी प्रस्तुत किया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने मनमाने रूप से उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अपीलांट बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज व काश्त है, जिसके पीठ पीछे उसको बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आलोच्य निर्णय विधि के प्रावधानों से हटकर पारित किया है, जिसका खुलासा अपीलांट न्यायालय हाजा में करना चाहता है एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। अगर अपीलांट को नहीं सुना जाता है तो अपीलांट अपने मूल अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुतिकरण की अनुमति प्रदान किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मूल वाद की तारीख पेशी दिनांक 22.05.2017 मुकरर्र थी। उक्त तारीख को प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो बताया कि आज की पेशी नहीं हो रही है। राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आपकी पत्रावली भी शिविरों में रख सकते है, जिसके बाबत आपको अलग से सूचना दी जायेगी। सूचना होने पर आप पेशी पर राजीनामे के लिए उपस्थिति हो जायें। प्रार्थी को शिविरों के बाबत कोई सूबना नहीं दी गई, उसके बावजूद भी प्रार्थी शिविर के आयोजन के रोज पूरे दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हाजिर रहा, परन्तु वहां पर यह बताया गया कि आज अधिकारी महोदय नहीं पधारेंगी एवं आज शिविर स्थगित रखे गये है। आगे के शिविर उपखण्ड मुख्यालय पर रखेंगे, जिसकी सूचना दे देंगे, परन्तु कोई सूचना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं आई। प्रार्थी ने अधिवक्ता से 10 जुलाई 2017 को फिर से सम्पर्क किया व आगे की जानकारी चाही तो बताया कि अभी तक शिविर खत्म नहीं हुए है, शिविर खत्म होने पर आपको तारीख की सूचना दे देंगे, तत्पश्चात माह अगस्त में फिर से प्रकरण की प्रगति चाही परन्तु अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कर्मचारी लोग सामुहिक अवकाश पर है, आपको सूचना दे दी जायेगी। बाद में दिनांक 31.08.2017 को गांव में अफवाह सुनी कि आपके कब्जे वाली भूमि का नामान्तरकरण किसी अन्य के नाम होने की चिट्ठी पटवारी के पास आई है, तब अधिवक्ता से जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने दिनांक 05.09.2017 को बावड़ी आने का कहा, जिस पर बावड़ी में हाजिर हुआ एवं जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि पत्रावली फैसल कर दी गई है। जिस पर उसी रोज नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 06.09.2017 को प्राप्त हुई, जिसको लेकर आगे की कार्यवाही हेतु सलाह मशवीरा किया एवं अपील के खर्चे की व्यवस्था की तथा अपील तैयार करवाई जाकर जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक स्व. गुमनाराम के भाई की पुत्री है तथा स्व. गुमनाराम की सबसे नजदीकी रिश्तेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित कर रेस्पोडेंट संख्या एक को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया है। अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसका स्व. गुमनाराम से कौनसा रिश्ता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट मूल वाद में पक्षकार संयोजित नहीं था, इसलिए उसे हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं गुंणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्व–प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा स्व. को स्व. गुमनाराम का नजदीकी रिश्तेदार बताया गया है तथा स्व. गुमनाराम को उसके द्वारा गोद लिया जाना बताया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का विधिसम्मत निस्तारण किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ठहरता है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2058–2061 ग्राम चटालिया तहसील बावड़ी के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2030, 321, 235/1 कुल रकबा 31.08 बीघा गुमानराम पिता पुरखाराम की खातेदारी भूमि दर्ज है। वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा स्व. गुमनाराम के लाऔलाद फौत होने तथा स्वयं को स्व. गुमनाराम की द्वितीय श्रेणी एवं एकमात्र वारिस बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है। यह उल्लेखनीय है कि वादीनी गुमानाराम के भाई किस्तुराराम की पुत्री होने तथा स्व. गुमनाराम की एकमात्र वारिस होने के संबंध में किसी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित हो कि वह स्व. गुमनाराम की द्वितीय श्रेणी की एकमात्र वारिस हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के निर्णित किये जाने हेतु विचाराधीन थी। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को केम्प कोर्ट कजनाउ में रखे जाने की सूचना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान् को दिये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बिना किसी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 151/2007 अनवान श्रीमती सुगनीदेवी बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2017 खारिज किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का विधिनुसार निस्तारण करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत पक्षकारान् को जवाबदावा प्रस्तुति का अवसर प्रदान कर, वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर